Letter No. 1144/Personnel-2-2001-53(1)/2001

Rakesh Sharma
Secretary
Government of Uttarakhand

All Principal Secretaries/Secretaries/Additional Secretaries
Government of Uttarakhand

All District Magistrates
Uttarakhand

All Head of Departments
Uttarakhand

Dehradun Date: 18 July 2001

Subject: For reservation in State Services, Educational Institutes and Public Industries, Corporations and Autonomous Institutes

In context to above, I am directed to say that after proper consideration of the policy for reservation in state public industries/corporations, autonomous institutes/ educational institutes, Government has decided to opt to increases one percent reservation on the basis of the available census. Therefore, government has decided to apply following provisional reservation in Uttarakhand State:

(1) SC 19%
(2) ST 04%
(3) OBC 14%

Government has also decided to give horizontal reservation to Women, Ex-army person, PWD and Freedom fighters and their dependents in the following manner:

(1) women 20%
(2) Ex Army Person 02%
(3) PWD 03%
(4) Freedom fighters and their dependents 02%

Horizontal reservation will be allowed into the respective categories.
Permanent policy for reservation will be determined separately.

Sincerely
Rakesh Sharma
Secretary

PRINCIPAL
Veer Shaheed Kesari Chand
Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya
Dakpathar, Vikasnagar

संख्या 1144 / कार्मिक-2-2001-53(1) / 2001

राकेश शर्मा
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

विषय

देहरादून दिनांक 18 जुलाई, 2001

राज्याधीन सेवाओ, शिक्षण संस्थाओ तथा सार्वजनिक उद्यमो, निगमो एव स्वायत्तशासी संस्थाओ मे आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध मे।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य मे राज्याधीन सार्वजनिक उद्यमो / निगमो स्वायत्तशासी संस्थाओ / शिक्षण संस्थाओ मे आरक्षण की नीति निर्धारित किये सम्बन्ध मे सम्यक रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान जनसंख्या (रेपिड सर्वे) के आकडो के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियो की सकल जनसंख्या मे उनके एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य मे आरक्षण अनन्तिम निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

(1) अनुसूचित जाति	19%
(2) अनुसूचित जनजाति	04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग	14%

2-शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिको, विकलाग व्यक्तियो तथा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितो को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :-

(1) महिलाए	20%
(2) भूतपूर्व सैनिक	02%
(3) विकलाग व्यक्ति	03%
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के आश्रित	02%

3-महिला / व्यक्ति जिस वर्ग की होगी / होगा, उसे उसी वर्ग मे हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

4-आरक्षण के सम्बन्ध मे स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश शर्मा,
सचिव।

संख्या 1144 (1)/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
आर० सी० लोहनी
अनु सचिव।

PRINCIPAL
Veer Shaheed Kesari Chand
Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya
Dakpathar, Vikasnagar

Letter No. 1900/XXX(2)/26(a)

From

Nrip Singh Napchayal
Principal Secretary
Government of Uttaranchal

To

1. Additional Chief Secretary
   Government of Uttaranchal
2. All Principal Secretaries/ Secretaries
   Government of Uttaranchal
3. All HODs/Office Head
   Uttaranchal
4. Divisional Commissioner Garhwal/Kumayun
   Uttaranchal
5. All District Magistrate
   Uttaranchal

Personnel Division -2

Dehradun Date 24 July 2006

Subject: Allowing horizontal reservation to women in State services/corporation/public sector and autonomous Institutes of Uttaranchal

Dear Sir

In context to above, I am directed to say that according to G.O. Letter No. 1144/Personnel-2-2001-53(1)/2001, Dated: 18 July 2001, Para 2 (i), 30 % reservation is allowed to women of Uttaranchal State.

In this context, after proper consideration by Government it is decided to increase women horizontal reservation from 20% to 30% in state services/corporation/public sector and autonomous Institutes of Uttaranchal. This 30% reservation will not be implemented in those issues, where selection process has already been started and advertised. Any old issues will not be entertained.

Kindly grant horizontal reservation to Uttaranchal women accordingly.

Sincerely
Nrip Singh Napchayal
Principal Secretary

No. 1966/XXX(2)/2006
Copy to:

1. Principal Secretary, Hon Governor, Uttaranchal Government
2. Secretary, Public Service Commission, Uttaranchal, Haridwar
3. Registrar, High Court, Uttaranchal Nanital
4. Secretary, Legislative Assembly, Uttaranchal Dehradun
5. All personnel secretaries of Hon Ministers
6. All divisions of Secretariat

PRINCIPAL
Veer Shaheed Kesari Chand
Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya
Dakpathar, Vikasnagar

संख्या 1944/XXX(2)/2006

प्रेषक

नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

30% women

सेवा में

1. अपर मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ,
उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 24 जुलाई 2006

विषय: उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं/निगमों/सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2-2-2001-53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 के प्रस्तर 2 (i) द्वारा उत्तरांचल राज्य की महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तरांचल राज्य की राज्याधीन सेवाओं, निगमों, सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उत्तरांचल राज्य की महिलाओं के लिए वर्तमान क्षैतिज आरक्षण 20 प्रतिशत को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी हो और विज्ञापन प्रकाशित हो गया हो। और कोई पुराने प्रकरण पुनर्उद्घाटित नहीं होंगे।

3. कृपया उपरोक्तानुसार उत्तरांचल राज्य की महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

संख्या 1944/XXX(2)/2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव को मा० मंत्रीगणों के सूचनार्थ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. विभागीय आदेश-पुस्तिका।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र लोहनी
संयुक्त सचिव

PRINCIPAL
Veer Shaheed Kesari Chand
Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya
Dakpathar, Vikasnagar

EWS Reservation

महत्वपूर्ण

संख्या– / /XXIV(4)/2019-01(03)/2019

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग),
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 30 जुलाई, 2019

विषय– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश अवस्थित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु 10 प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–विधि/2699/अन्य–45/2019, दिनांक 05 जुलाई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत हैं कि मानव संशाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या–F.No.20013/01/2018-BC-II, दिनांक 17 जनवरी, 2019 (संलग्नक–1) द्वारा उक्तानुसार अन्य वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) में दिये जा रहे आरक्षण के अतिरिक्त वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

3– उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–64/XXXVI (3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07 मार्च, 2019 (संलग्नक–2) द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण) विधेयक, 2019 को जारी करते हुए लोक सेवाओं और पदों में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उपधारा (4) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों को जिन पर भर्ती की जानी है, दस प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना में कतिपय अन्य दिशा–निर्देश एवं प्राविधान भी किये गये हैं।

3– शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्राविधानों एवं विभिन्न दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत् उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश अवस्थित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों व सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु प्रत्येक शाखा में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष अन्य वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) में दिये जा रहे आरक्षण के अतिरिक्त वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए दस प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने की स्वीकृति इस प्रकार प्रदान की जाती है कि छात्रों के लिए सीटों की कुल संख्या में वृद्धि की जायेगी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के बाद, संख्या या सीटें पूर्ववर्ती एकेडमिक सत्र की तरह ही रहे।

4– अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः....2

संख्या– 1022-(1)/ XXIV(4)/2019-01(03)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव/प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल द्वारा–प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा–प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग), उत्तराखण्ड द्वारा–प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।
11. एन. आई. सी (निदेशक), सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

PRINCIPAL
Veer Shaheed Kesari Chand
Rajkiya Snatkottar Mahavidyalaya
Dakpathar, Vikasnagar

C:\USER\Documents\D.S Rawat\D.S.Rawat Letter General.doc

F. No.20013/01/2018-BC-II
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice and Empowerment

17th January, 2019
Shastri Bhawan, New Delhi

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions.

In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the Constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

i. 5 acres of Agricultural Land and above;
ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

3. The income and assets of the families as mentioned in para 2 would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in the States/UTs. The officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/ UT.

4. Every Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority, increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, are not less than the total seats available in the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

5. Instructions regarding reservation in employment and admission to educational institutions will be issued by DoPT and Ministry of HRD respectively.

(B.L. Meena)
Joint Secretary to the Government of India

To

1. The Secretary, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi
2. The Secretary, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi

F No: 12-4/2019-U1
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 17 January, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) for admission in Central Educational Institutions.

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act 2019, and the reference of Ministry of Social Justice and Empowerment vide OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17th January 2019, enabling provision of reservation for the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, it has been decided to provide reservation in admission to educational institutions subject to a maximum of ten per cent of the total seats in each category. This would not apply to the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

2. The provision of reservations to the Economically Weaker Sections shall be in accordance with the directions contained in the OM No. 20013/01/2018-BC-II dated 17th January 2019 of the Ministry of Social Justice & Empowerment and shall be subject to the following:

a) The reservations shall be provided to EWSs for admission in Central Educational Institutions, (as defined in clause (d) of section (2) of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006) from the academic year 2019-20 onwards.
b) The above reservation would not be applicable to the 8 institutions of excellence, research institutions, institutions of national & strategic importance as specified in the Schedule to The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as amended from time to time, and appended to this OM, and to the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution.
c) Every Central Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority (as defined in clause (c) of section 2 of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006), increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of

study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, is not less than the number of such seats available, in each category, for the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

d) Where, on a representation by any Central Educational Institution, the appropriate authority is satisfied that for reasons of financial, physical or academic limitations or in order to maintain the standards of education, the annual permitted strength in any branch of study or faculty of such institution cannot be increased for the academic session following the commencement of this Act, it may permit such institution to increase the annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the academic session following the commencement of this Act; and then, the extent of reservation for the Economically Weaker Sections shall be limited for that academic session in such manner that the number of seats made available to the Economically Weaker Sections for each academic session shall not reduce the number and the percentage of reservations provided for SC/ST/OBC categories.

e) The scheme for implementing the reservation for the EWS shall be displayed on the website of the institution as soon as possible, but no later than 31st March 2019.

3. The Chairman UGC, Chairman AICTE and Chairperson NCTE and the Bureau Heads of the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development responsible for management of the Institutions of National Importance are requested to ensure immediate compliance of this OM.

4. This issues with the approval of the Minister for Human Resource Development.

Encl: As above

(Smita Srivastava)
Director

1. **Chairman UGC**
2. **Chairman AICTE**
3. **Chairperson NCTE**
4. **All Bureau Heads of Department of Higher Education**

Copy to:

Chief Secretaries of all State Governments/UTs: with a request to give effect to the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 for all higher educational institutions funded/aided, directly or indirectly, by the State Government in such manner that the provision for reservation for EWS would become operational from the academic year 2019-20.

Appendix

SCHEDULE

(The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006)

S.No.	Names of the Institutions of Excellence, etc.
1.	Homi Bhabha National Institute, Mumbai and its constituent units, namely:-
	(i) Bhabha Atomic Research Centre, Trombay;
	(ii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam;
	(iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore;
	(iv) Institute for Plasma Research, Gandhinagar;
	(v) Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata;
	(vi) Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata;
	(vii) Institute of Physics, Bhubaneshwar;
	(viii) Institute of Mathematical Sciences, Chennai;
	(ix) Harish-Chandra Research Institute, Allahabad;
	(x) Tata Memorial Centre, Mumbai.
2.	Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai.
3.	North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science, Shillong.
4.	National Brain Research Centre, Manesar, Gurgaon.
5.	Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.
6.	Physical Research Laboratory, Ahmedabad.
7.	Space Physics Laboratory, Thiruvananthapuram.
8.	Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun.

Annexure-I

Government of ....
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. __________ Date: ________________

VALID FOR THE YEAR________

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ____________________ son/daughter/wife of ____________________ permanent resident of __________________, Village/Street ____________ Post. Office ____________ District________ in the State/Union Territory ______________ Pin Code_________ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family'** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _______. His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ____________________ belongs to the ______ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office______________
Name ____________________
Designation ______________

Recent Passport size attested photograph of the applicant

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

G. Srinivasan

प्रवेश निर्देशिका

PROSPECTUS 2023-24

वीर शहीद केसरी चन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डाकपत्थर विकासनगर, देहरादून

NAAC-B++

शैक्षणिक कैलेण्डर 2023–24

1	स्नातक प्रथम सेमेस्टर में समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण की तिथि	दिनांक 01–06–2023 से 24–06–2023
2	प्रथम वरीयता सूची प्रकाशन	दिनांक 26–06–2023
3	प्रवेश हेतु साक्षात्कार	प्रथम वरीयता सूची प्रकाशन से 5 दिन तक
4	प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि	साक्षात्कार से 3 दिन
5	स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि	वि0 वि0परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर
6	स्नातक तृतीय सेमेस्टर, स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर तथा स्नातक तृतीय वर्ष में प्रवेश तिथि	वि0 वि0परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन के अन्दर
7	शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ तिथि –	10 जुलाई 2023
8	स्वतन्त्रता दिवस समारोह	15 अगस्त 2023
9	एन0सी0सी0 भर्ती	सितम्बर तृतीय सप्ताह में
10	एन0एस0एस0 भर्ती	सितम्बर तृतीय सप्ताह में
11	रोबर्स /रेन्जर्स भर्ती	सितम्बर तृतीय सप्ताह में
12	छात्र संघ निर्वाचन	शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर
13	वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि	प्रवेश उपरान्त
14	सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संचालित कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि	17 अगस्त 2023
15	एन0एस0एस0 दिवस	24 सितम्बर 2024
16	गान्धी जयन्ती	2 अक्टूबर 2023
17	स्नातक विषम सेमेस्टर आन्तरिक परीक्षा	दशहरा अवकाश के बाद
18	स्नातकोत्तर विषम सेमेस्टर आन्तरिक परीक्षा	दीपावली अवकाश के बाद
19	वीर शहीद केसरी चन्द जन्म दिवस	01 नवम्बर 2023
20	राज्य स्थापना दिवस	09 नवम्बर 2023
21	एन0सी0सी0 दिवस	अन्तिम रविवार नवम्बर 2023
22	विश्व एड्स दिवस	01 दिसम्बर 2023
23	स्पर्श गंगा दिवस	17 दिसम्बर 2023
24	वार्षिक क्रीड़ा समारोह	दिसम्बर 2023
25	शीतावकाश	उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार
26	एन0एस0एस0 विशेष (दिन व रात्रि) शिविर	जनवरी 2024 द्वितीय सप्ताह में
27	स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषम सेमेस्टर सत्रान्त परीक्षा	वि0वि0 द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
28	वार्षिकोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	फरवरी 2024 द्वितीय सप्ताह
29	रोबर्स /रेन्जर्स दिवस	22 फरवरी 2024
30	स्नातक सम सेमेस्टर आन्तरिक परीक्षा	मार्च 2024 चतुर्थ सप्ताह
31	स्नातकोत्तर सम सेमेस्टर आन्तरिक परीक्षा	अप्रैल2024 तृतीय सप्ताह
32	श्रीदेव सुमन जन्म दिवस	23 मई 2024
33	स्नातक एवं स्नातकोत्तर सम सेमेस्टर सत्रान्त परीक्षा	वि0वि0 द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
34	ग्रीष्मावकाश	उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार

1– महाविद्यालय एक परिचय

पतित पावनी यमुना नदी के तट पर अवस्थित ऊर्जा नगरी डाकपत्थर में सम्पूर्ण पछवादून व जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र की उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अक्टूबर 1993 में की गयी। सत्र 1994–95 से वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 प्रथम वर्ष में 54 छात्र/छात्राओं व एक प्राध्यापक से इस संस्था का शुभारम्भ हुआ। सन 2001–2002 में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों तथा कला संकायान्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति शास्त्र की कक्षाएँ प्रारम्भ की गयी। वर्ष 2005 से एम0कॉम0 की कक्षाएँ प्रारंभ हुई।

महाविद्यालय का अपना भवन न होने के कारण आरम्भ में यह महाविद्यालय डाकपत्थर में सिंचाई खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में संचालित किया गया। अब इस भवन में सिर्फ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ही संचालन हो रहा है। महाविद्यालय का स्थायी भवन लोअर लखवाड़ डाकपत्थर स्थित अपनी 16 एकड़ भूमि पर वर्ष 2008 में बनकर तैयार हुआ है। सत्र 2008–09 से इसमें तीनों संकायों वाणिज्य, विज्ञान व कला का संचालन हो रहा है।

महाविद्यालय अपने सीमित संसाधनों के बाबजूद अपने सम्पूर्ण पछुवादून क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। इसके अन्तर्गत सत्र 2006–07 से दो व्यावसायिक पाठयक्रमों क्रमशः पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन्स तथा पी0जी0 डिप्लोमा इन योगिक साइंस का संचालन हो रहा है। सत्र 2008–09 से कला संकाय में स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र एवं गृह विज्ञान एवं तीन और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पी0जी0 डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन, बी0बी0ए0 तथा बी0एड0 का संचालन हो रहा है।

2– सम्बद्धता

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक यू0ओ0सं0–02/XXIV(7)/2017 उच्च शिक्षा अनुभाग–देहरादून दिनांक 10 अगस्त, 2019 तथा निदेशक उच्च शिक्षा के पत्रांक डिग्री प्लान/38–40/2018–19 दिनांक 04 अप्रैल, 2018 द्वारा महाविद्यालय को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में शैक्षणिक सत्र 2018–19 में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त है। श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इस राजकीय महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं कला संकाय में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुशासन हेतु

विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशालय द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/आदेश/निर्देश प्रभावी होते हैं।

3– स्नातक स्तर पर प्रवेश नियम सत्र 2023–24 :–

1– प्रवेश सम्बन्धित नियमों हेतु कृपया विश्वविद्यालय (www.sdsuv.ac.in) तथा महाविद्यालय (www.gdcdakpathar.com) की वेबसाइट को देखें।

2– नयी शिक्षा नीति 2020, आरक्षण एवं प्रवेश सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियम लागू होगें।

3– महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन E-Samarth के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। सभी प्रविष्टियों की पूर्ति के पश्चात् आवेदन–पत्र को निर्धारित तिथि तक पंजीकरण शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करेगें। संलग्नक के अभाव में आवेदन–पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को प्रत्येक संकाय हेतु अलग–अलग ऑन लाइन आवेदन पत्र भरना होगा।

4– प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों को अवश्य संलग्न करें। प्रमाण–पत्रों के अभाव में आवेदन पर विचार सम्भव नहीं होगा।

(अ) प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अन्तिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र तथा व्यक्तिगत अभ्यर्थी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ब) विगत समस्त परीक्षाओं के अंक–पत्रों एवं प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करनी होगी तथा इन सभी के मूल प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने होंगे, ताकि अंक–पत्रों तथा प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतियों का सत्यापन किया जा सके।

(स) आयु प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(द) पासपोर्ट आकार के नवीनतम दो रंगीन फोटो।

(य) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ ही मान्य होगा तथा इसी के आधार पर वे उक्त जातियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

(र) खेलकूद तथा अन्य पाठ्येत्तर क्रिया–कलापों सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

5–प्रवेश हेतु स्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची अभ्यर्थी की मेल–आई0डी0, महाविद्यालय सूचना पट्ट एवं वैबसाईट पर लगा दी जाएगी। ऐसे छात्र ऑनलाइन शुल्क जमा करके रसीद पर अंकित विषयों के प्राध्यापकों से रसीद पर हस्ताक्षर प्राप्त कर कक्षाओं में नाम लिखायेंगे। नियत तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश–संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जाएगी

6–स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश स्थानों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता क्रम में दिया जाएगा।

7– प्राचार्य किसी भी प्रवेश आवेदन–पत्र को बिना कारण बताए अस्वीकृत कर सकते हैं।

8– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को योग्यता (मेरिट) के आधार पर महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

9– मिथ्या, भ्रामक एवं अपूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र–छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। यदि त्रुटिवश या गलत तथ्यों के आधार पर किसी छात्र–छात्रा को प्रवेश दिया गया हो, तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर इस अनियमित प्रवेश को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

10– यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूतम अर्हता न होते हुए भी प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो जाँच के उपरान्त उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

11– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र असत्य पाए जाते हैं तो उसका प्रवेश निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

12– महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक् पालन करना होगा। वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे एवं रैगिंग में संलिप्त नहीं पाए जायेंगे। उक्त की अवेहलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

13– प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषयों के परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है।

14– विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में समर्थ ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जायेंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

15—विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के प्श्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

16- Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय महाविद्यालय अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

17— प्रवेश प्राप्त किसी भी विद्यार्थी ने यदि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण—पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय संकाय में जमा न किया हो तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

18— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है—

1	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3	अन्य पिछडा वर्ग	14 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि के अन्तर्गत जारी हो)

नोट— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—

1	महिलाएँ	30 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
3	दिव्यांग	05 प्रतिशत
4	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता—क्रम में यदि

चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त– अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता–सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जाएगी।

- Extension in date of admission upto 30 days
- Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
- Waiving of domicile requirements.

19– स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

क	एन0सी0सी0 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
ख	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
ग	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन	20 अंक
घ	जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री/पति /पत्नी/ सगा भाई/ बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/ बहन	20 अंक
ङ	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
च	अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
छ	शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिभाग करने पर	30 अंक
ज	राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर–	25 अंक
झ	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
ञ	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
ट	जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता	20 अंक

	प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर	
ठ	अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट– उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यार्थियों को अधिकतम 50 अंको का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंको का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

20– श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/ परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) व सी0सी0 के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित म0वि0/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

21–क प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

ख– अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

22–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में दोषी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण–

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

महाविद्यालयों हेतु निम्न तालिका में उपलबध विषयों के अनुसार विषयों का चयन किया जा सकता है–

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय– (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा।

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य	अर्थशास्त्र	इतिहास	शिक्षा शास्त्र	हिन्दी साहित्य	राजनीति विज्ञान
संस्कृत साहित्य	गृह विज्ञान				
	मानव विज्ञान				

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु

गणित समूह (Mathematics Group)		
Group A	Group B	Group C
गणित	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान
विज्ञान समूह (Science Group)		
Group A	Group B	Group C
वनस्पति विज्ञान	जन्तु विज्ञान	रसायन विज्ञान

वाणिज्य संकाय (Bachelor of Commerce (B.Com.) हेतु

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting (Major Core Own Faculty)	Business Regulatory Frame Work (Major Core Own Faculty	Business Organization and Management

उपर्युक्त विषयों Core and minor में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त नियम लागू होगें।

4– स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु विशेष नियम–

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक डिग्री होगी। स्नातकोत्तर कक्षाओं(एम0ए0/एम0एस–सी0/एम0कॉम0) में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम (बी0ए0– 40 प्रतिशत तथा बी0एस–सी0– 45 प्रतिशत) प्राप्तांक आवश्यक है। एम0ए0 में

प्रवेश बी0ए0 में अध्ययन किये गये विषयों में से चयन के आधार पर होगा। एम0कॉम0 के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वाणिज्य संकाय की परीक्षा (बी0कॉम0) न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो और अन्य संकाय से बी0ए0 अर्थशास्त्र के साथ व बी0एस–सी0 गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (एम0कॉम0) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेंगे।

5– छात्र गणवेश (Student Dress code)

महाविद्यालय के छात्र –छात्राओं के लिए गणवेश (Dress Code)निर्धारित है। सभी संस्थागत छात्र/छात्राएँ 'कॉलेज यूनिफॉर्म' धारण कर ही महाविद्यालय परिसर एवं कक्षा में प्रवेश करें। विस्तृत विवरण हेतु महाविद्यालय के सूचना पट्ट को अवश्य देखते रहें।

6– शुल्क एवं उसका भुगतान (Fee and Mode of Payment)

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी से राज्य निधि एवं महाविद्यालय छात्र निधि के अन्तर्गत पूरे सत्र का निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षा शुल्क प्रति सेमेस्टर अलग से देय होगा

7– छात्रवृत्ति (Scholarship)

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियॉ जो छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है, निम्नवत् हैं:–

1. **अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति/पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति–** माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख से अधिक न होने पर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति हेतु तथा रुपये 1.00 लाख से अधिक न होने पर पिछड़ी जाति हेतु स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में छात्रवृत्ति शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगी।
2. **मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्तिः–** उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0149416/XXIV-C-2/2023/06(02)2023 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 25 अगस्त 2023 के अनुसार देय होगी।
3. **दिव्यांग छात्रवृत्ति :** दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर सभी दिव्यांगों को समाज कल्याण विभाग से देय होगी।
4. **निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष (Poor Student' Fund):** ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्राएँ जिन्हें किसी अन्य स्त्रोत से आर्थिक सहायकता या शुल्क सहायता न मिल पाई हो वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद् के पास इस कोष से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

शासनादेश सं– 2097/XVII-4/2014 दिाांनक 14 नवमबन2014 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों

को त्वरित तथा/पारदर्शिता के साथ निराकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 से 'ऑन लाईन' छात्रवृति की योजना लागू कर दी गई हैं। जिसमें समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट WWW.scholarship.uk.go.in पर छात्र/छात्रा को अपना पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरान्त छात्र को उसके भविष्य के लिए अपने सभी छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु एक यूजर आई.डी.एवं पासबर्ड एस.एम.एस. /ई– मेल के माध्यम से प्राप्त होगा। यूजर आई.डी. से छात्र कहीं से भी नियत अन्तिम तिथि से पहले अपने शिक्षण संस्थान को अपने छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस हेतु नवीतम पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास पत्र, बैंक की पासबुक का प्रथम पेज की छायाप्रति जिसमें बैंक एकाउण्ट नम्बर एवं बैंक का IFSC कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हो, उसे अपलोड करना आवश्यक होगा। सम्बन्धित छात्र द्वारा ऑनलाइन फीड किए गये, आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकालकर अपने सन्दर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की गलत जानकारी देने अथवा फर्जी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधि–सम्मत कार्यवाही की जाएगी। छात्र/छात्रा को नियत तिथि तक ऑन लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र सॉफ्टवेयर में फीड नहीं किये जा सकेंगे।

नोट : उक्त सभी छात्रवृत्तियां एवं छात्रवृत्ति अनुदान शासनादेशों के अनुरूप परिवर्तनीय हैं।

8– उपस्थिति नियम (Rules of Attendance)

शासनादेश संख्या 528(1) 15– (उ.शि.) 71/97 दिनांक 11 जून, 1917 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह व्याख्यान कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है। निम्नलिखित स्थिति में पूरे सत्र में किसी विषय में 5 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 10 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है। –

(अ) विद्यार्थी की लम्बी और गंभीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अंदर विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो।

(ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष स्थिति में समुचित कारण देने पर।

(स) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद– सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स– रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रमाण – पत्र उपस्थिति न्यूनता मार्जन पर दिया जाएगा। बशर्ते कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी

से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।

नोटः– प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2023– 24 में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा,वल्कि एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद – सांस्कृतिक समारोह, राश्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स– रेंजर्स **शि**विर, भौक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय स**श**स्त्र सेनाओं भती से वंचित कर दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किए जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। इस आशय का **श**पथ पत्र भी अभ्यर्थियों का देना होगा। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जाता है।

9–महाविद्यालय पुस्तकालय (College Library)

महाविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में लगभग 18961 पाठ्य पुस्तकें तथा सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुला रहता है। छात्र/छात्राओं को पुस्तकें प्राप्त करने के लिए नियमानुसार तिथि निर्धारित की जाती है और उन्हीं दिवसों में पुस्तकें निर्गत की जाती है।

सन्दर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं होगी। सन्दर्भ ग्रन्थों की संख्या 750 है।

पुस्तकों को सुरक्षित दशा में रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाले छात्र/छात्रा की होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाए, खो जाए अथवा किसी भॉति नष्ट हो जाए तो पुस्तकधारी छात्र/छात्रा को नई पुस्तक लौटानी होगी अथवा उसके मूल्य की डेढ़ गुना धनराशि जमा करनी होगी।

परीक्षा से पूर्व पुस्तकों को लौटाना अनिवार्य है। नियत तिथि तक पुस्तक न लौटाने पर निर्धारित अर्थदण्ड देय होगा।

महाविद्यालय में ई–पुस्तकालय का कार्य गतिमान है।

10–वाचनालय (Reading Room)

छात्र/छात्राओं में लिए दैनिक समाचार पत्र एवं मासिक पत्रिकाएं पढ़ने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों का आह्वान किया जाता है कि कक्षाओं में

अध्ययन के इतर समय पर पत्र – पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्वि करते रहें।

11– महाविद्यालय पत्रिका (College Magazine)

महाविद्यालय में पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना हैं। छात्र/छात्राएं अपनी स्व–निर्मित रचनाओं को प्रकाशन हेतु पत्रिका के सम्पादक मण्डल को हस्तगत करायें। साथ ही सम्पादक मण्डल से रचना–लेख आदि के लिए उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त कर लें। सम्पादक मण्डल द्वारा चयनित उत्कृष्ट लेखों को प्रकाशित किया जाएगा।

12– कैरियर काउन्सलिंग (Career counseling)

वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में विद्यार्थियों में दक्षता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास करने तथा रोजगार परक सूचनाएँ प्रदान करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक कैरियर काउन्सलिंग सेल की स्थापना की गई है। कैरियर काउन्सलिंग सेल के द्वारा समय – समय पर कैरियर सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इच्छुक विद्यार्थी इस कैरियर काउन्सलिंग सेल में अन्य दिनों में भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

13– पूर्व छात्र परिषद (Alumni Association)

महाविद्यालय के विकास में भूतपूर्व छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित् करने के लिए महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद का गठन किया जाता है। एतदर्थ महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती हैं। यदि उनके बडे भाई/ बहन/अभिभावक इस महाविद्यालय पूर्व छात्र रहे हों उनकी सूचना महाविद्यालय को उपलब्ध करायें।

14– अभिभावक– शिक्षक परिषद् (Parent &Teacher Association)

महाविद्यालय के विकास में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय में अभिभावक–शिक्षक परिषद् गठित की जाती है। इस परिषद् में प्राचार्य संरक्षक, वरिष्ठ प्राध्यापक सचिव तथा अभिभावकों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया जाता है। अभिभावक – शिक्षक परिषद की बैठकें समय – समय पर सम्पादित की जाती हैं।

15– महिला प्रकोष्ठ (Womenn Cell)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देख – रेख के अतिरिक्त

छात्राओं के **शा**रीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्य की संख्या अधिक रखी जाती है ।

16– अनुशासन एवं शास्ता मण्डल (Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ **शै**क्षिक वातारण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। **शा**स्ता मण्डल का संयोजक मुख्य **शा**स्ता होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु **शा**स्ता सदस्य होते हैं।

महाविद्यालय के शास्ता मण्डल द्वारा निम्नलिखित कृत्यों में संलिप्त पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी–

1.महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का वचन एवं कर्म द्वारा अनादर करना।

2.महाविद्यालय में आए किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं अनादर प्रदर्शित करना। कक्षाओं में शिक्षण कार्यो में व्यवधान उत्पन्न करना।

3. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
4. ऐसा कोई भी कार्य, जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
5. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।)
6. परिसर में किसी राजनीति या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार –प्रसार या प्रद**र्श**न करना।
7. जाली हस्ताक्षर, झूठा बयान प्रस्तुत करना।
8. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से मना करना।
9. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थो का सेवन करना।
10. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन/इश्तहार लगाना।
11. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना /क्षति पहुँचाने का प्रयास करना।

12. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना,अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।

13. कक्षाओं में च्युइंगम, पान मसाला, मोबाईल फोन का प्रयोग करना।

14. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मॉगने पर प्रस्तुत न करना।

15. जो भी विद्यार्थी उक्त निशेधाज्ञा का उल्लंधन करेगा उसको निलंबित, अर्थ दण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

17– अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम (Discipline Important Rules)

प्रत्येक छात्र के पास परिचय पत्र का होना आवश्यक है, जिसे परिसर में कभी भी मॉगा जा सकता है। परिचय पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र मुख्य शास्ता/कार्यालय से प्राप्त कर लें।

महाविद्यालय परिसर में रैंगिंग (किसी भी रूप में) पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। रैंगिंग में में संलिप्तता की दशा में कठोरतम कार्यवाही, भारी जुर्माना तथा न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

जिन छात्रों की गतिविधियाँ शास्ता मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की दृष्टि में अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जाएगा। ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।

दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होगें।

18– रैगिंग–एक कानूनी अपराध (Ragging –A Legal Offence)

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या 310/04/एस0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए यू.जी.सी. एवं कुलाधिपति (महामहिम, राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एण्टी रैगिंग निरोधक समिति एवं एन्टी रैगिंग दस्ता गठित है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोर कार्यवाही हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है। रैगिग में संलिप्त होने की दशा में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

19– पाठ्य– सहगामी क्रियाकलाप

(अ) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

"मैं नहीं परन्तु आप"(Not Me,But You) की भावना पर आधारित राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियॉ संचालित होती हैं जैसेः– शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान,बाढ़,भूकम्प,सूखा इत्यदि) के लिए कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोशण कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम।

वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो ईकाई कार्यरत है, जिसके तहत 200 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घण्टे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक 07 दिवसीय विशेष शिविर (ए प्रमाण पत्र) एवं 05 एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की ,बी, व सी प्रमाण पत्रों की परीक्षाऍ भी आयोजित होती हैं, जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान्य प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जाता है।

(ब) राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C)

राष्ट्रीय कैडेट कोर एक युवा संगठन है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1948 में युवाओं में नेतृत्व और देशभक्ति के मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है– **"एकता और अनुशासन"**

(स) रोवर्स–रेंजर्स (Rovers-Rangers)

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक, समरसता, जनचेतना, दक्षता एवं सेवाभाव विकसित करने के लिए भारत स्काउट–गाइड, उत्तराखण्ड संगठन के निर्देशन में महाविद्यालय में रोवर्स–रेंजर्स की इकाई स्थापित है। इसके तहत समय–समय पर स्थानीय प्रादेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन होता है जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र–छात्राएं प्रतिभाग करते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति पदक, उप–राष्ट्रपति पदक प्रमाण पत्र सहित प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाण पत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित हैं।

(द)क्रीड़ा एवं खेलकूद (Sports and Games)

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसके लिए पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियॉ संचालित की जाती हैं। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर उन्हें विभिन्न अन्तर–महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में क्रीड़ा एवं खेलकूद के अन्तर्गत एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, वॉलीबॉल एवं शतरंज की सुविधा उपलब्ध है।

(य) छात्रसंघ (Student Union)

छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदे ा संख्या S.L. P.(Civi)No24295/2004 दिनांक 26–06–2004 जो भारत सरकार के पत्र संख्या द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/XXIV(6)2007–3(168)/2001 दिनांक 27–02–2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व–वित्तपोषित संस्थानों पर लागू करने के अनुपालन में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्पन्न कराए जायेगें।

प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से 6 सप्ताह के अन्तर्गत संस्थागत स्तर पर छात्र संघ चुनाव करवाया जाना आवश्यक होगा। सभी स्तरों के छात्र निकायों पर स्नातक कक्षाओं तक 17से 22 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी, पदाधिकारी निर्वाचित होने पर केवल 1 बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने पर 2 बार चुनाव लड़ सकेगा । निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्राचार्य द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा।

चुनाव आचार संहिता, आयु–सीमा एवं व्यवस्थायें लिंगदोह समिति/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होंगी। साथ ही छात्र संघ आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पदच्युत भी किया जा सकता है।

(र)सांस्कृतिक परिषद् (Cultural Council)

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं में सन्निहित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं अन्य ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने एवं संवर्द्धन करने तथा महाविद्यालय/ /विश्वविद्यालय अथवा अन्य उच्च स्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक–साहित्यिक

आयोजनों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता, सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक परिषद् गठित की जाती है। इच्छुक छात्र/छात्राएं सांस्कृतिक क्लब की सदस्यता अनिवार्य रूप से ग्रहण करें।

(ल) **विभागीय परिषद् (Departmental Council)**

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग अपनी–अपनी विभागीय परिषदों का गठन करेंगे। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक, सह–शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ–साथ भ्रमण आदि का आयोजन करेंगें। अन्तर्विभागीय प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती हैं।

20– अन्य नियम

(अ) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate)

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना आवश्यक है। महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (स्थाई चरित्र प्रमाण पत्र सहित) देय होगा।

(ब) चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)

संस्थागत छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के उपरान्त मुख्य नियन्ता की संस्तुति के पश्चात् दिया जाता है। यदि किसी छात्र की चरित्र प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति की आवश्यकता हो, तो वह 06 महीने के अन्तराल पर ही निर्गत किया जा सकता है। अतः छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपियों का प्रयोग करना चाहिए।

(स) परिचय पत्र (Identity Card)

प्रत्येक छात्र–छात्रा माविद्यालय से निर्गत परिचय पत्र की सुरक्षा करना अनिवार्य है। महाविद्यालय में हर समय छात्र के पास परिचय पत्र उपलब्ध रहना चाहिए ।

(द) शुल्क रसीद (FeeReceipt)

छात्र/छात्रा को प्रवेश के प्श्चात सम्पूर्ण सत्र अपनी फीस की रसीद को संभालकर रखना अनिवार्य होगा ।

(य) महाविद्यालय विविध –आवेदन पत्र (Misccellaneous Application Forms)

महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र एवं परीक्षा आवेदन पत्र आदि नियत समय पर छात्र–छात्रा के द्वारा स्वयं देने पर ही स्वीकार किये जायेंगे और मान्य होंगे।

नोट–इस विवरणिका के नियमों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन संशोधन का पूर्ण अधिकार प्राचार्य का होगा। नये शासनादेश के प्राप्त होने पर तदनुसार नियमों /निर्देशों में संशोधन कर दिये जायेंगें।

छात्र–छात्राओं के लिए अनुपालनीय निर्देश एवं नियम

समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत होने के लिए छात्र–छात्राएँ सूचना पट्ट पर अंकित सूचनाएँ नियमित रूप से पढ़ें। छात्र–छात्राएँ सूचना पट्ट पर लगी सूचनाओं को कदापि न फाड़ें अन्यथा दण्ड के भागी बन सकते हैं।

छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेंगें तथा महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बढ़ाने में हर सम्भव सहयोग देंगे।

छात्र–छात्राओं को अपने विभिन्न शैक्षणिक एवं सह–शैक्षिक क्रिया–कलापों के लिए सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

महविद्यालय में प्रवेश हेतु अनिवार्य रूप से विद्यार्थी अपना परिचय पत्र साथ में रखें अन्यथा महाविद्यालय परिसर व कक्षाओं से वंचित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन–पत्र निर्धारित उपस्थिति एवं शुल्क भुगतान किए जाने की दशा में ही अग्रसारित किया जाएगा।

महाविद्यालय कार्यालय में जो भी धन जमा किया जाए उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है। अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छात्र–छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगें।

शैक्षणिक कलैण्डर प्रभावी हो जाने के उपरान्त महाविद्यालय समय–सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा ।

शुल्क जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखवाना छात्र–छात्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

महाविद्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा गैर इरादतन की गई किसी त्रुटि का अनुचित लाभ उठाने हेतु कोई वाद अदालत में दायर नहीं किया जा सकेगा।

स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश लेने के तुरन्त बाद एन0एस0एस0/एन0सी0सी0 अथवा रोवर्स–रेंजर्स में पंजीयन हेतु तत्सम्बधी अधिकारियों से सम्पर्क करें।

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग जैसे अपराधिक कृत्य से सदैव बचे रहें।

छात्र–छात्राओं की प्रवेशित विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

प्रारूप–क

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा/लूगीं एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य है। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

मै शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।

मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

प्रति हस्ताक्षरित   छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप–ख

मैं विश्वास दिलाता हूॅ कि श्री/कु0/श्रीमती ....

जो मेरे संरक्षण में रहेगा/रहेगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखगा /रखेगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय /महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।   हस्ताक्षर– पिता/अभिभावक

वार्षिक शुल्क विवरण (Annual Fee Details)

प्रवेश शुल्क 2023–24

क्र0सं0	शुल्क खाता नाम	बिना प्रयोगात्मक विषय
1	प्रवेश शुल्क	3=00
2	पुस्तकालय शुल्क	3=00/10=00
3	विकास शुल्क	20=00
4	मंहगाई शुल्क	240=00
5	प्रयोगशाला शुल्क	240=00
6	पंखा शुल्क	5=00
7	शिक्षण शुल्क	180=00
8	विद्युत एवं जल	60=00
9	विविध शुल्क	100=00
10	पत्रिका शुल्क	50=00
11	वाचनालय शुल्क	30=00
12	विभागीय परिषद शुल्क	50=00
13	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	10=00
14	परिचय पत्र शुल्क	25=00
15	छात्र संघ	50=00
16	रोवर रेंजर	60=00
17	महाविद्यालय दिवस	20=00
18	सांस्कृतिक परिषद	50=00
19	महाविद्यालय प्रांगण विकास	20=00
20	कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	70=00
21	जनरेटर शुल्क	50=00
22	प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	60=00 प्रति विषय
23	कैरियर कॉउन्सिलिंग	30=00
24	प्रसाधन शुल्क	50=00
25	क्रीड़ा शुल्क	200=00
26	पार्किंग शुल्क	30=00

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी, प्राध्यापक

	प्राचार्य–	प्रो0 (डॉ0) जी0आर0 सेमवाल	
	भौतिक विज्ञान विभाग		
1–	डॉ0 विनोद सिंह		असिस्टेंट प्रोफेसर
2–	डॉ0 योगेश प्रसाद		असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	रिक्त		
	रसायन विज्ञान विभाग		
1–	डॉ0 (श्रीमती) रुचि बडोनी सेमवाल		नितान्त अस्थाई प्रवक्ता
2–	रिक्त		
3–	रिक्त		
	गणित विभाग		
1–	डॉ0 रोशन लाल केष्टवाल		एसोसिएट प्रोफेसर
2–	डॉ0 परवेज आलम		असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	डॉ0 श्वेता पाण्डेय		नितान्त अस्थाई प्रवक्ता
	वनस्पति विज्ञान विभाग		
1–	डॉ0 राखी डिमरी		एसोसिएट प्रोफेसर
2–	डॉ0 प्रेम सिंह चौहान		संविदा प्रवक्ता
	जन्तु विज्ञान विभाग		
1–	डॉ0 दिलीप कुमार भाटिया		असिस्टेंट प्रोफेसर
	हिन्दी विभाग		
1–	प्रो0 (डॉ0) अरविन्द कुमार अवस्थी		प्रोफेसर
2–	डॉ0 नीलम ध्यानी		असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	डॉ0 मंजू गौतम		असिस्टेंट प्रोफेसर
	संस्कृत विभाग		
1–	प्रो0 (डॉ0) राधेश्याम गंगवार		प्रोफेसर
2–	डॉ0 मनोरथ प्रसाद नौगाईं		नितान्त अस्थाई प्रवक्ता
	अंग्रेजी विभाग		
1–	डॉ0 दीप्ति बगवाड़ी		असिस्टेंट प्रोफेसर
2–	डॉ0 माधुरी रावत		असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	डॉ0 सीमा पुण्डीर		असिस्टेंट प्रोफेसर
	इतिहास विभाग		
1–	डॉ0 राकेश मोहन नौटियाल		असिस्टेंट प्रोफेसर
2–	डॉ0 विजय बहुगुणा		असिस्टेंट प्रोफेसर

3–	डॉ0 अविनाश भट्ट	असिस्टेंट प्रोफेसर
	राजनीति विज्ञान विभाग	
1–	डॉ0 राजकुमारी भण्डारी	असिस्टेंट प्रोफेसर
2–	डॉ0 अमित गुप्ता	असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	डॉ0 सुनील सिंह	नितान्त अस्थाई प्रवक्ता
	मानव विज्ञान विभाग	
1–	डॉ0 खुशीकान्त बंगवाल	संविदा प्रवक्ता
	अर्थशास्त्र विभाग	
1–	डॉ0 हरीश चन्द्र	असिस्टेंट प्रोफेसर
	शिक्षा शास्त्र विभाग	
1–	डॉ0 निरंजन कुमार प्रजापति	असिस्टेंट प्रोफेसर
2–	डॉ0 अशोक कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
	गृह विज्ञान विभाग	
1–	डॉ0 पूजा पालीवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर
	वाणिज्य संकाय	
1–	डॉ0 पूजा राठौर	असिस्टेंट प्रोफेसर
2–	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद बडौनी	असिस्टेंट प्रोफेसर
3–	रिक्त	
	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम	
	1–बी0एड0 विभाग	
1–	डॉ0 रुचि बहुखण्डी	विभागाध्यक्ष
2–	श्रीमती प्रिन्सी कर्णवाल	संविदा प्रवक्ता वाणिज्य
3–	कु0 कविता बडोला	संविदा प्रवक्ता अंग्रेजी
4–	श्री अभिषेक गौड़	नितान्त अस्थाई जीव विज्ञान
5–	श्रीमती दीपमाला	नितान्त अस्थाई भौतिक
6–	जनार्दन नौगाईं	नितान्त अस्थाई हिन्दी
7–	श्री विमल डबराल	पुस्तकालयाध्यक्ष
	2–पी0जी0 डिप्लोमा इन योगिक साइंस	
1–	श्री अमित नेगी	गेस्ट फैकल्टी
2–	कु0 पूजा	गेस्ट फैकल्टी
3–	श्री अनुज जोशी	गेस्ट फैकल्टी
	3–पी0जी0 डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन	
1–	श्री रेखा खत्री	गेस्ट फैकल्टी

	4—बी0बी0ए0	
1—	श्रीमती भावना गर्ग	गेस्ट फैकल्टी
2—	श्रीमती रीना ठाकुर	गेस्ट फैकल्टी
3—	श्रीमती दीपा राणा	गेस्ट फैकल्टी

महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी

1—	श्री मनमोहन सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
2—	श्री थान सिंह	कनिष्ठ सहायक
3—	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा	सहा0 पुस्तकालयाध्यक्ष
4—	श्री राजेश कुमार	इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिकल
5—	श्री पंकज कुमार	प्रयोगशाला सहायक
6—	श्रीमती सोनी डिमरी	प्रयोगशाला सहायक
7—	श्रीमती अंजली देवी	प्रयोगशाला सहायक
8—	श्रीमती नीतू चौहान	प्रयोगशाला सहायक
9—	श्रीमती पूनम गांधीयन	प्रयोगशाला सहायक
10—	श्री सुधीर रावत	प्रयोगशाला परिचारक
11—	श्री सुनील कुमार मैठाणी	प्रयोगशाला परिचारक
	उपनल कर्मचारी	
1—	श्री अरविन्द सिंह नेगी	प्रयोगशाला सहायक
2—	श्री बलबीर सिंह पंवार	प्रयोगशाला सहायक
3—	श्री दीपक भट्ट	बुक लिफ्टर
4—	श्री चैत राम चौहान	प्रयोगशाला परिचारक
5—	श्री खजान सिंह	प्रयोगशाला अनुसेवक
6—	श्री सचिन कुमार	कार्यालय अनुसेवक
7—	श्री दीपक बिष्ट	प्रयोगशाला परिचारक
8—	श्री जय भगवान	प्रयोगशाला परिचारक
9—	श्री महावीर कुमार	रात्रि चौकीदार
10—	श्री रतन लाल गोदियाल	चौकीदार
11—	श्रीमती सविता	स्वच्छक
	उपनल कर्मचारी बी0एड0 विभाग	
1—	श्री अशोक सिंह कण्डारी	सहायक लेखाकार
2—	श्रीमती शीतल तोमर	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
3—	श्रीमती अनिता पंवार	स्टोर कीपर